न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1121/2024

अनवान : –

1. जसवन्त पुत्र भगवानाराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर ।
2. कृष्ण पुत्र भगवानाराम जाति नायक निवाासी कानसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. सुमन पुत्री भगवानाराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. गुलाब पुत्री भगवानाराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. सावित्री पुत्री भगवानाराम भगवानाराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. सरबती पुत्री स्व0 निकूराम भगवानाराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. सोना पुत्री निकूराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. सीता पुत्री निकूराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. ग्यारसी पुत्री निकूराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
8. रामप्यारी पुत्री निकूराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 09/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 264/253 की कुल 8.6500 हैक्ट भूमि मे से 1/4 हिस्सा भूमि निकुराम पुत्र धोकलराम जाति नायक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निकुराम पुत्र धोकलराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादीगण के दादा है। अ निकुराम पुत्र धोकलराम का स्वर्गवास हो चुका है। निकुराम पुत्र धोकलराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जो की वादीगण की बहिने है व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 वादीगण की बुआ है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण के बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:31 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे परन्तु कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य वाद से संबंधित नवीनतम जमाबंदीया, मृत्यु प्रमाण भगवानाराम व निकुराम, चित्रपति सदस्य प्रमाण पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निकुराम पुत्र धोकलराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादीगण के दादा है। अ निकुराम पुत्र धोकलराम का स्वर्गवास हो चुका है। निकुराम पुत्र धोकलराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जो की वादीगण की बहिने है व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 वादीगण की बुआ है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण के बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 264/253 की कुल 8.6500 हैक्ट भूमि मे से 1/4 हिस्सा भूमि निकुराम पुत्र धोकलराम जाति नायक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निकुराम पुत्र धोकलराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादीगण के दादा है। अ निकुराम पुत्र धोकलराम का स्वर्गवास हो चुका है। निकुराम पुत्र धोकलराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जो की वादीगण की बहिने है व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 वादीगण की बुआ है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक निकूराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 264/253 की कुल 8.6500 हैक्ट भूमि मे से 1/4 हिस्सा भूमि निकुराम पुत्र धोकलराम जाति नायक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में निकूराम पुत्र धोकलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:31 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1121/2024

अनवान : –

1. जसवन्त पुत्र भगवानाराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर ।
2. कृष्ण पुत्र भगवानाराम जाति नायक निवाासी कानसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. सुमन पुत्री भगवानाराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. गुलाब पुत्री भगवानाराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. सावित्री पुत्री भगवानाराम भगवानाराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. सरबती पुत्री स्व0 निकूराम भगवानाराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. सोना पुत्री निकूराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. सीता पुत्री निकूराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. ग्यारसी पुत्री निकूराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
8. रामप्यारी पुत्री निकूराम जाति नायक निवासी कानसर तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1121 सन 2024 निर्णय दिनांक - 09/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जाशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 264/253 की कुल 8.6500 हैक्ट भूमि मे से 1/4 हिस्सा भूमि निकुराम पुत्र धोकलराम जाति नायक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में निकूराम पुत्र धोकलराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:31 IST
Reason: SelfAttested